

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 81]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी 2022 — माघ 29, शक 1943

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 फरवरी 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-4/2013/38-2 (पार्ट). — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 668/पी.यू./एस.एण्ड.ओ./2016/16199, दिनांक 04-09-2021 द्वारा कलिंगा विश्वविद्यालय, ग्राम-कोटनी पलौद, तह.—आरंग, जिला—रायपुर (छत्तीसगढ़) के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 01, 19, 24, 48 एवं 51 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहत किया गया है.

- राज्य शासन, एतद्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.
- उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

अध्यादेश क्रमांक 24 मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.) में संशोधन

7. अध्यादेश 24 के खंड 24.1 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

24.1 परिचय: विश्वविद्यालय द्वारा 2 वर्षीय मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.) पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों में जैसा की विश्वविद्यालय के विधान/ संविधि क्रमांक 14 के खण्ड क्रमांक 1.1 में वर्णित हैं, विद्यार्थियों को संबंधित विषयों में विशेषज्ञ ज्ञान प्रदान करने हेतु प्रस्तावित किया जाएगा।

8. अध्यादेश संख्या 24 के खंड 24.2 में निम्नलिखित शब्दों को लोपित किया जाएगा, अर्थात् :-

“विभिन्न विशेषज्ञता में ऑनर्स”

---- 000 ----

अध्यादेश क्रमांक 48 डॉक्टर ऑफ फिलॉसोफी (पीएच.डी.) में संशोधन

9. वर्तमान में विद्यमान अध्यादेश क्रमांक 48 को निरस्त किया जाना है और निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है।

संशोधित अध्यादेश क्रमांक -48**डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.)**

1. उपाधि का नाम: डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.)
2. प्रयोज्यता : डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.) पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के सभी संकायों द्वारा संचालित किया जा सकेगा।
3. पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के मानदण्ड : इस अध्यादेशो में निर्धारित शर्तों के अधीन निम्नलिखित व्यक्ति पीएच.डी में प्रवेश पाने के लिए पात्र हैं।
 - 3.1 पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एक व्यवसायिक उपाधि जिसे समकक्ष सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य घोषित किया गया हो, जिसमें अभ्यर्थी को कम से कम 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर बी ग्रेड प्राप्त हुए हों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है, जो कि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी संविधित प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे

प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित हैं जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निर्गमित है।

3.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो (गैर लाभान्वित श्रेणी) से संबद्ध हैं अथवा समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अभ्यर्थियों की अन्य श्रेणियों के लिए अथवा दिनांक 19 सितंबर 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 55% से 50% अंक तथा अर्थात् अंकों में 5% की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है। 55% अर्हता अंक (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) तथा उपर्युक्त श्रेणियों में 5% अंको की छूट केवल अर्हक अंकों के आधार पर ही अनुमेय है जिसमें रियायती अंक शामिल नहीं है।

3.3 अभ्यर्थी जिनके पास किसी भारतीय संस्थान की एम.फिल. उपाधि के समकक्ष ऐसी उपाधि है जो कि विदेशी शैक्षिक संस्थान से है, जो कि किसी आंकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है, जो शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निर्गमित है, ऐसे अभ्यर्थी पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।

4. पाठ्यक्रम अंतराल:

4.1 पीएच.डी. पाठ्यक्रम नियमित अभ्यर्थियों के लिए निम्नतम 3 वर्ष का एवं अंशकालिक अभ्यर्थियों के लिए 4 वर्ष का होगा जिसमें कोर्स वर्क भी सम्मिलित होगा। अधिकतम अवधि 6 वर्ष की होगी।

परन्तु पीएच.डी. में पंजीकरण के समय एम.फिल. या 2 वर्ष का शैक्षकीय अनुभव होने पर नियमित अभ्यर्थी 3 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष में एवं अंशकालिक अभ्यर्थी 4 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष में शोधप्रबंध जमा कर सकेंगे।

4.2 कुलपति उपरोक्त अधिकतम अवधि में एक अतिरिक्त वर्ष की वृद्धि की अनुमति प्रदान कर सकते हैं जिसमें एक और वर्ष की वृद्धि की अनुमति भी संभव होगी किंतु इन अवधियों में अभ्यर्थी को लिखित आवेदन में वैध कारणों के साथ निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

- 4.3 महिला अभ्यर्थी एवं दिव्यांगजन (40 प्रतिशत से अधिक निःशक्ता) को पीएच.डी. पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में 2 वर्ष की छूट प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम 240 दिन का अवकाश मातृत्व अवकाश अथवा शिशु देखभाल हेतु पीएच.डी. पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि में प्रदान किया जा सकता है।

5. प्रवेश प्रक्रिया:

- 5.1 पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा उन अभ्यर्थियों को जो UGC-NET (JRF सहित)/UGC-CSIR NET (JRF सहित)/SLET/GATE/शैक्षिक छात्रवृत्ति धारक या एम.फिल. उपाधि प्राप्त या किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान में कम से कम 2 वर्ष सेवा का अनुभव रखते हैं उन्हें इस प्रवेश परीक्षा से मुक्त किया जा सकता है।

- 5.2 विश्वविद्यालय पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने हेतु :-

5.2.1 वार्षिक आधार पर अपने शैक्षणिक निकायों के माध्यम से पूर्व निर्धारित तथा संतुलित संख्या में पीएच.डी. शोधार्थियों को दाखिला देगा जो कि उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक तथा उपलब्ध वास्तविक सुविधाओं पर निर्भर करेगी, तथा शोधार्थी शिक्षक अनुपात (जैसा उप-खण्ड क्रमांक 6.5 में दर्शाया गया है) प्रयोगशाला, ग्रंथालय तथा ऐसी ही अन्य सुविधाओं के संबंध में मानदण्ड को ध्यान में रखा जाएगा।

5.2.2 दाखिले हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषय, विषयवार संवितरण, दाखिले का मानदण्ड, दाखिले की प्रक्रिया, परीक्षा केन्द्र जहां प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा अभ्यर्थियों के लाभ के लिए अन्य सभी संगत जानकारी संस्थागत वेबसाइट तथा कम से कम दो (2) राष्ट्रीय समाचार पत्रों से पहले ही जारी करें जिनमें से (01) समाचार पत्र क्षेत्रीय भाषा का हो।

- 5.3 दाखिले, संस्थान द्वारा अधिसूचित मानदण्ड के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों/मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकारों की आरक्षण नीति को मद्देनजर रखते हुए किए जाएंगे।

- 5.4 विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को द्विचरणीय प्रक्रिया के द्वारा प्रवेश देगा:-

- 5.4.1 प्रवेश परीक्षा, अर्हक परीक्षा होगी जिसमें 50 प्रतिशत अर्हता अंक होंगे। प्रवेश परीक्षा के पाठ्यवितरण में 50 प्रतिशत शोध पद्धति तथा 50 प्रतिशत विशिष्ट विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा पहले ही अधिसूचित केन्द्र पर खण्ड क्रमांक 5.1 के अनुसार आयोजित की जाएगी।
- 5.4.2 विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों के शोध रुचि या क्षेत्र से संबंधित चर्चा हेतु विधिवत गठित समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के माध्यम से एक साक्षात्कार या मौखिकी का आयोजन कर सकता है।
- 5.5 साक्षात्कार या मौखिकी में निम्नवत पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा—
- 5.5.1 क्या अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिए क्षमता रखता है;
- 5.5.2 प्रस्तावित शोधकार्य सुलभतापूर्वक विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किया जा सकता है;
- 5.5.3 प्रस्तावित शोध के क्षेत्र द्वारा नवीन/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान प्राप्त हो सकता है;
- 5.6 विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर पीएच.डी. के लिए पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रख रखाव वार्षिक आधार पर करेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यर्थियों का नाम, उसके शोध का विषय, उसके पर्यवेक्षक/सह पर्यवेक्षक, नामांकन/पंजीकरण की तिथि आदि शामिल होंगे।
6. शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण :— शोध पर्यवेक्षक, सह-पर्यवेक्षक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक अनुमेय पीएच.डी. शोधार्थियों की संख्या आदि
- 6.1 विश्वविद्यालय का कोई भी नियमित रूप में नियुक्त प्राध्यापक जिसने किसी संदर्भित पत्रिका में कम से कम पांच प्रकाशन प्रकाशित किए हैं और विश्वविद्यालय का कोई नियमित सह/सहायक प्राध्यापक जो पीएच.डी. उपाधि धारक हो तथा जिसके संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम दो शोध प्रकाशित किए गए हों उसे शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है। बशर्ते कि उन क्षेत्रों/विधाओं में जहां कोई भी संदर्भित पत्रिका नहीं हो तथा केवल सीमित संस्था में संदर्भित पत्रिका हो, तो विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति को शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान करने की उपर्युक्त शर्तों में लिखित रूप से कारण दर्ज कर छूट प्रदान कर सकता है।
- 6.2 केवल विश्वविद्यालय के नियमित प्राध्यापक ही पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाहरी पर्यवेक्षकों को अनुमति नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय के अन्य विभागों या अन्य

संबंधित संस्थानों से अंतर – विषयी क्षेत्रों में सह-पर्यवेक्षकों को शोध परामर्श समिति के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है।

- 6.3 किसी चयनित शोधार्थी के लिए शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा प्रति शोध पर्यवेक्षक शोधार्थियों की संख्या, पर्यवेक्षक की विशेषज्ञता तथा शोधार्थियों की शोध रुचि, जैसा कि उनके साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार के समय इंगित किया गया हो, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
- 6.4 ऐसे शोध हेतु शीर्षक जो अंतर विषयी स्वरूप के हैं, जहां संबंधित विभाग यह महसूस करता है कि विभाग में उपलब्ध विशेषज्ञता की बाहर से अनुपूर्ति की जानी चाहिए, उस स्थिति में विभाग स्वयं अपने ही विभाग से शोध पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा, जिसे शोध पर्यवेक्षक के रूप में जाना जाएगा और विभाग/संकाय/ विश्वविद्यालय के बाहर से एक सह-पर्यवेक्षक को ऐसी नियम व शर्तों पर सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा जैसा कि सहमति करने वाले संस्थान/महाविद्यालयों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और जिन पर आपस में सहमति बनेगी।
- 6.5 किसी एक समय के दौरान कोई भी प्राध्यापक के पद पर नियुक्त पदधारी, शोध पर्यवेक्षक के रूप में (08) पीएच.डी. शोधार्थियों से अधिक का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। कोई भी सह-प्राध्यापक शोध पर्यवेक्षक के रूप में अधिकतम (06) शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, तथा शोध पर्यवेक्षक के रूप में सहायक प्राध्यापक (04) शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।
- 6.6 विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी पीएच.डी. महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आंकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी जहां शोधार्थी जाना चाहे बशर्ते कि इन विनियमों की अन्य सभी निबंधन और शर्तों का शब्दशः पालन किया जाए तथा शोध कार्य किसी मूल संस्थान पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्तपोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि, शोधार्थी मूल संस्थान तथा पर्यवेक्षक को पूर्व में किए गए शोध कार्य के अंकों के लिए पूर्ण श्रेय देगा।
- 6.7 विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर विषयों, संकायों और प्रवेश क्षमताओं के साथ अनुसंधान पर्यवेक्षकों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा तथा इसे उचित समयावधि के भीतर अद्यतन किया जाएगा।

7. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य (कोर्स वर्क): क्रेडिट, अवधि, पाठ्यविवरण, कार्य पूर्ण करने के न्यूनतम मापदण्ड आदि :

- 7.1 पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य (कोर्स वर्क) के लिए न्यूनतम 08 क्रेडिट तथा अधिकतम 16 क्रेडिट जैसा कि विषय संबंधित पाठ्यक्रम समिति द्वारा निर्धारित करें, दिए जाएंगे।
- 7.2 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य (कोर्स वर्क) को पीएच.डी. की तैयारी के लिए पूर्वापेक्षित माना जाएगा। शोध पद्धति पर एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम को कम से कम चार क्रेडिट दिए जाएंगे जिसमें ऐसे क्षेत्र जैसे परिमाणात्मक पद्धति, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, अनुसंधान नैतिकता तथा संबंधित क्षेत्र में प्रकाशित शोध की समीक्षा, प्रशिक्षण, क्षेत्र कार्य आदि शामिल हैं। अन्य पाठ्यक्रम उन्नत स्तर के पाठ्यक्रम होंगे जो छात्रों को पीएच.डी. के लिए तैयार करेंगे।
- 7.3 पीएच.डी. के लिए विहित सभी पाठ्यक्रम संबंधी कार्य क्रेडिट घंटे संबंधी अनुदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप होगा तथा वह विषयवस्तु, अनुदेशात्मक तथा मूल्यांकन संबंधी पद्धतियों को विनिर्दिष्ट करेगा। वे प्राधिकृत शैक्षणिक/अकादमिक निकायों द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किए जाएंगे।
- 7.4 ऐसे विभाग जहां शोधार्थी अपना शोध कार्य जारी रखते हैं, वे शोधार्थी को शोध सलाहकार समिति की अनुशंसा के आधार पर नीचे दिए गए उप-खण्ड 8.1 में तथा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रमों को विहित करेंगे।
- 7.5 पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त सभी नियमित अभ्यर्थियों को प्रारंभिक प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टरों के दौरान तथा अंशकालिक अभ्यर्थियों को तीसरे अथवा चौथे सेमेस्टर तक विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य (कोर्स वर्क) को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।
- 7.6 पहले ही एम.फिल. उपाधि धारक अभ्यर्थी जिन्हें पीएच.डी. पाठ्यक्रम में दखिला प्राप्त हो गया है, उन्हें विभाग द्वारा पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य (कोर्स वर्क) से छूट प्रदान की जा सकती है। अन्य सभी अभ्यर्थी जिन्हें पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है उन्हें विभाग द्वारा विहित पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य (कोर्स वर्क) को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।
- 7.7 शोध पद्धति पाठ्यक्रमों सहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य (कोर्स वर्क) में ग्रेड को शोध सलाहकार समिति द्वारा संयुक्त मूल्यांकन किए जाने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा तथा विश्वविद्यालय को अंतिम ग्रेड के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

- 7.8 किसी पीएच.डी. शोधार्थी को पाठ्यक्रम संबंधी कार्य (कोर्स वर्क) को न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 7 बिंदु मानक पर इसके समकक्ष ग्रेड/सी.जी.पी.ए. प्राप्त करना होगा ताकि वह पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए पात्र हो तथा शोध प्रबंध जमा कर सके।
- 7.9 पर्यवेक्षक की अनुशंसा पर पाठ्यक्रम संबंधी कार्य (कोर्स वर्क) विश्वविद्यालय से संबंधित शालाओं/ विभागों/ संस्थानों में विश्वविद्यालय में अथवा बाहर भी किया जा सकता है।
8. **शोध सलाहकार समिति (आर.ए.सी.) एवं उनके कार्य :**
- 8.1 प्रत्येक शोध छात्र के लिए एक शोध सलाहकार समिति होगी। समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित होंगे :—
- (अ) शोधार्थी के शोध पर्यवेक्षक संयोजक होंगे।
 - (ब) संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष सदस्य के रूप में होंगे।
 - (स) विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठ प्राध्यापक जो शोध पर्यवेक्षक होने की पात्रता रखते हो, सदस्य के रूप में उन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा।
- यदि, विश्वविद्यालय में दो शोध पर्यवेक्षक के रूप में पात्र वरिष्ठ संकाय सदस्य उपलब्ध न होने की स्थिति में कुलपति को अधिकार होगा कि वे विश्वविद्यालय के बाहर से शोध पर्यवेक्षक के रूप में पात्र कोई दो सदस्यों को मनोनीत कर सकेंगे।
- कोरम पूर्ण करने हेतु तीन सदस्यों की आवश्यकता होगी।
- 8.2 समिति का उत्तरदायित्व निम्नानुसार होगा :—
- 8.2.1 शोध उपाधि समिति (RDC) के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने हेतु शोध प्रस्ताव की समीक्षा एवं शोध विषय का निर्धारण करना।
 - 8.2.2 अध्ययन रचना का विकास, शोध कार्यप्रणाली एवं शोधार्थी द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान पद्धति का निर्धारण तथा शोधार्थी का मार्गदर्शन करना।
 - 8.2.3 समय-समय पर शोधार्थी द्वारा किए गए शोध की प्रगति में सहायता एवं समीक्षा करना।
- 8.3 शोधार्थी, शोध सलाहकार समिति के समक्ष मूल्यांकन एवं आगे मार्गदर्शन एवं अपने द्वारा किए गए शोध प्रगति के प्रदर्शन हेतु हर छः महीनों में एक बार उपस्थित होना होगा। शोध

सलाहकार समिति, छः माही विवरण विश्वविद्यालय को जमा करेगा जिसकी एक प्रति शोधार्थी को भी दी जाएगी।

8.4 शोधार्थी की प्रगति असंतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में, शोध सलाहकार समिति इसका कारण अभिलेखित कर आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन सुझावों को लागू करने में समर्थ नहीं हो पाता है तो शोध सलाहकार समिति विशिष्ट कारणों के साथ विश्वविद्यालय को शोधार्थी का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुशंसा कर सकती है।

9. शोध उपाधि समिति (आर.डी.सी) एवं उनके दायित्व :

9.1 प्रत्येक शोध छात्र के लिए, एक शोध उपाधि समिति होगी। समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित होंगे :-

1. कुलपति या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति- अध्यक्ष
2. संकाय के डीन - सदस्य
3. संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष - सदस्य
4. अध्यक्ष, संबंधित अध्ययन मण्डल - सदस्य
5. अभ्यर्थी के पर्यवेक्षक
6. यदि एच.ओ.डी., अध्यक्ष एवं पर्यवेक्षक तीनों एक ही व्यक्ति है, ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय में कार्यरत संबंधित विषय के एक वरिष्ठ प्राध्यापक को कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।

कोरम पूर्ण करने हेतु तीन सदस्यों की आवश्यकता होगी।

9.2 उप खण्ड क्रमांक 8.2.1 के अनुसार, शोध सलाहकार समिति द्वारा अनुशंसित शोध प्रस्ताव पर विचार कर शोध विषय को अनुशंसित/संशोधन/निरस्त करना सुनिश्चित होगा।

9.3 शोध उपाधि समिति के पास शोध कार्य से संबंधित वे सभी अधिकार भी होंगे जो इस अध्यादेश में कहीं भी उल्लेखित नहीं हैं।

9.4 यदि शोध विषय आर.डी.सी. द्वारा अनुशंसित किया जाता है तो उसे पंजीयन हेतु उपयुक्त माना जाएगा।

10. उपाधि अवार्ड करने के लिए मूल्यांकन तथा निर्धारण पद्धतियाँ, न्यूनतम मानदण्ड/क्रेडिट आदि:

10.1 पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम संबंधी कार्य (कोर्स वर्क) हेतु क्रेडिट सहित समग्र न्यूनतम क्रेडिट संबंधी अपेक्षाएं 24 क्रेडिट से कम नहीं होंगी।

10.2 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य (कोर्स वर्क) को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत तथा उपर्युक्त 7.8 उप खण्ड में विहित अंक/ग्रेड प्राप्त करने पर शोधार्थी को शोधपत्र का एक प्रारूप इस

अध्यादेश के आधार पर संबंधित संस्थान द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- 10.3 शोध प्रबंध को जमा करने से पूर्व, शोधार्थी संस्थान की शोध सलाहकार समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा जिसमें सभी संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी उपस्थित होंगे। उनसे प्राप्त हुई प्रतिपुष्टि तथा टिप्पणियों को शोध सलाहकार समिति के परामर्श से मौजूदा शोध प्रबंध में उपयुक्त रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा।
- 10.4 मूल्यांकन हेतु शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व पीएच.डी. शोधार्थी संदर्भित मानक पत्रिका में कम से कम (01) शोध पत्र अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराएगा तथा अपने शोध प्रबंध प्रस्तुत करने से पूर्व, सम्मेलनों/संगोष्ठियों में न्यूनतम दो पेपर प्रस्तुत करेगा तथा इसके संबंध में प्रस्तुतीकरण प्रमाणपत्र और/ अथवा पुनर्मुद्रणों के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।
- 10.5 अभ्यर्थी शोध प्रबंध (थीसिस) के सारांश की छः प्रति, एवं कम से कम एक मानक शोध पत्रिका में स्वीकृत या प्रकाशित शोध पत्र की सूची अपने शोध पर्यवेक्षक के माध्यम से शोध प्रबंध (थीसिस) जमा करने के अपेक्षित तिथि के लगभग दो माह पहले जमा करेगा।
- 10.6 शोध पर्यवेक्षक, छः परीक्षकों की एक सूची को मोहरबंद लिफाफे में विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रस्तुत करेंगे जो सम्बद्ध क्षेत्र के शोध में सक्रिय रूप से कियाशील हैं एवं कम से कम सह प्राध्यापक के पद के श्रेणी के हों। यदि अभ्यर्थी, शोध पर्यवेक्षक से संबंधित हो तो वह नामिका, संबंधित विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।
- 10.7 पर्यवेक्षकों द्वारा परीक्षकों की नामिका एवं अभ्यर्थी द्वारा सारांश की प्राप्ति होने पर कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, इस हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा गठित समिति की बैठक आहुत करेंगे। समिति, पर्यवेक्षक/अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत सूची पर विचार करने के पश्चात्, परीक्षकों के रूप में कार्य करने हेतु छः नामों की सूची तैयार करेंगे।
- 10.8 संस्थान की शैक्षणिक परिषद (अथवा इसके समकक्ष निकाय), सुविकसित सॉफ्टवेयर तथा आधुनिक उपकरणों द्वारा साहित्यिक चोरी तथा शिक्षा संबंधी छल-कपट का पता लगाएगी। शोध प्रबंध को मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से एक वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी तथा शोध पर्यवेक्षक द्वारा कार्य की मौलिकता के प्रमाण स्वरूप एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य उसी संस्थान में जहां शोध कार्य किया गया था अथवा

किसी अन्य संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवार्ड करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- 10.9 शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत थीसिस का मूल्यांकन शोध पर्यवेक्षक एवं दो बाहरी परीक्षकों जो कि खण्ड क्रमांक 10.7 के अंतर्गत बनाए गए सूची में से कुलपति द्वारा नियुक्त किए गए हों, द्वारा किया जाएगा। उल्लेखित परीक्षक संस्था/महाविद्यालय में नियुक्त नहीं हो एवं उनमें से कम से कम एक परीक्षक छत्तीसगढ़ या देश के बाहर से हों। अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई समीक्षा पर मौखिक परीक्षा, शोध पर्यवेक्षक तथा दो बाहरी परीक्षकों में से कम से कम एक बाहरी परीक्षक द्वारा की जाएगी, इसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग में संकाय सदस्यगण एवं अन्य शोधार्थी और इस विषय में रुचि लेने वाले विशेषज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं।

यदि शोध पर्यवेक्षक किन्हीं कारणों से मौखिक परीक्षा के संचालन में असमर्थ हों तो सह शोध पर्यवेक्षक (यदि हो), पर्यवेक्षक के स्थान पर मौखिक परीक्षा का संचालन कर सकते हैं।

यदि सह शोध पर्यवेक्षक भी किन्हीं कारणों से मौखिक परीक्षा के संचालन में असमर्थ हो तो कुलपति एक संकाय सदस्य की नियुक्ति, अभ्यर्थी के मौखिक परीक्षा के संचालन हेतु कर सकते हैं।

- 10.10 लघु शोध प्रबंध/थीसिस के पक्ष में शोधार्थी की सार्वजनिक मौखिक परीक्षा केवल उस स्थिति में ली जाएगी जब लघु शोध प्रबंध/थीसिस पर बाहरी परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक हो तथा उसमें मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिए विशिष्ट सिफारिश शामिल हों। एक बाहरी परीक्षक की मूल्यांकन रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर तथा उसमें मौखिक परीक्षा की सिफारिश नहीं किए जाने पर विश्वविद्यालय परीक्षकों के अनुमोदित नामिका में किसी अन्य बाहरी परीक्षक को लघु शोध प्रबंध/ थीसिस भेजेगा तथा नए परीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर ही मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि नए परीक्षक की रिपोर्ट असंतोषजनक हो तो, लघु शोध प्रबंध/ थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा शोधार्थी को उपाधि प्रदान करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

11. उपस्थिति :

एक पीएच.डी. छात्र को उसके कार्यकाल में कम से कम 200 दिनों की उपस्थिति, विश्वविद्यालय में संबंधित विभाग या शोध पर्यवेक्षक के समक्ष देनी होगी।

12. अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएच.डी. उपाधि का संचालन:

अंशकालिक आधार पर पीएच.डी. पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति होगी बशर्ते मौजूदा पीएच.डी. की इस अध्यादेश में उल्लेखित सभी शर्तें पूर्ण की जाएं।

13. पाठ्यक्रम शुल्क:

पाठ्यक्रम शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग से इसे अनुमोदित कराया जाएगा।

14. इन्फ्लिबनेट के साथ डिपोजिटरी

14.1 पीएच.डी. उपाधि (यों) को अवार्ड करने हेतु सफलतापूर्वक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् तथा पीएच.डी. उपाधि को प्रदान किए जाने की घोषणा से पूर्व, विश्वविद्यालय शोध प्रबंध की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति इन्फ्लिबनेट के पास प्रदर्शित (होस्ट) करने के लिए जमा करेगा ताकि सभी संस्थानों/ महाविद्यालयों तक इनकी पहुँच बनाई जा सके।

14.2 उपाधि को प्रदान करने से पूर्व विश्वविद्यालय इस आशय का एक अस्थायी प्रमाणपत्र (प्रोविजनल) प्रदत्त करेगा कि उपाधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गई है।

15. विश्वविद्यालय शोध हेतु रूपरेखा, अभ्यर्थी द्वारा विविध घोषणापत्र, पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणपत्र कॉपी राईट स्थानांतरण अनुमोदन, एवं परीक्षक द्वारा मूल्यांकन विवरण इत्यादि हेतु आवश्यक प्रपत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।

16. विश्वविद्यालय, समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 या पी.एच.डी. से संबंधित किसी अन्य विनियम में निहित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करेगा।

---- 000 ----

अध्यादेश क्रमांक 51 विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ में संशोधन

10. अध्यादेश क्रमांक 51 के खण्ड क्रमांक 41 के बाद निम्नलिखित नवीन खण्ड क्रमांक 42 जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

42. प्राकृतिक आपदाओं, महामारी आदि के परिणामस्वरूप अथवा उपयुक्त सक्षम अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय भौतिक परीक्षाओं के स्थान पर ऑनलाइन परीक्षाओं को आयोजित करने का निर्णय ले सकता है।

---- 000 ----

अटल नगर, दिनांक 10 फरवरी 2022

क्रमांक एफ 3-4/2013/38-2 (पार्ट) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-02-2022 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

Atal Nagar, the 10th February 2022

NOTIFICATION

No. F 3-4/2013/38-2 (Part). — Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 668/PU/S&O/2016/16199, dated 04-09-2021 has approved the amendment of Ordinance No. 01, 19, 24, 48 and 51 of Kalinga University, Village-Kotni Palod, Teh.-Arang, Distt.-Raipur (Chhattisgarh), Under Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of above Ordinances in Official Gazette.
3. The above Ordinances shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHUVANESH YADAV, Secretary.

Amendment in Ordinance No. 24 Master of Arts (M.A.)

7. In clause 24.1 of ordinance 24, the following shall be substituted, namely:-

24.1 Introduction: Master of Arts in various subjects, as mentioned in clause 1.1 of statute no. 14 shall be offered by the University to impart specialist knowledge in the concerned subjects.

8. In clause 24.2 of Ordinance No. 24 following words shall be omitted, namely:-

“honors in Various Specializations”

---- 000 ----

Amendment in Ordinance No. 48 Doctor of Philosophy (Ph.D.)

9. Existing Ordinance No. 48 to be repealed and replaced by the following
New Ordinance No. 48

**REVISED ORDINANCE No. 48
Doctor of Philosophy (Ph.D.)**

1. Title of the degree: Doctor of Philosophy (Ph.D.)
2. Applicability: This ordinance will be applicable to all faculties of the University.
3. Eligibility criteria for admission to Ph.D. Program: Subject to the conditions stipulated in this Ordinance following persons are eligible to seek admission to the Ph.D. program:
 - 3.1 Candidates having a Master's degree or a professional degree equivalent to the Master's degree, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) or an equivalent degree from a foreign educational institution accredited by an assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an authority established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions.
 - 3.2 A relaxation of 5% of marks, from 55% to 50% or an equivalent relaxation of grade, may be allowed to those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/ Differently-Abled and other categories of candidates as per the decision of the University Grants Commission (UGC) from time to time, or for those who had obtained their Master's

degree prior to 19th September, 1991 the eligibility marks of 55% (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible based only on the qualifying marks without including the grace mark procedures.

- 3.3 Candidates possessing M.Phil. Degree or a degree considered equivalent to M.Phil. degree of an Indian Institution, From a Foreign Educational Institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions, shall be eligible for admission to Ph.D. program provided

4. Duration of the program:

- 4.1 Ph.D. Program shall be for a minimum duration of three years for candidates of regular mode and four years for candidates of part time mode, including course work and a maximum of six years.

Provided that the candidate possessing M.Phil. Degree or a teacher with 2 years teaching or professional experience at the time registration can submit his/her thesis after 2 year instead of 3 years for regular mode or 3 year instead of 4 year for part time mode.

- 4.2 Extension beyond the above limits may be given by the Vice-Chancellor for the period of one year which may be again extended for another year for valid reasons to be recorded in writing by paying prescribed fee.
- 4.3 The women candidates and differently able (more than 40% disability) may be allowed a relaxation of two years for Ph.D. in the maximum duration. In addition, the women candidates may be provided Maternity Leave/Child Care Leave once in the entire duration of Ph.D. for up to 240 days.

5. Procedure for admission:

- 5.1 Admission to Ph.D. Program will be through an Entrance Test conducted at the level of the University. The University may exempt conditions for Ph.D. Entrance Test for those candidates who qualify UGC-NET (including JRF)/ UGC-CSIR NET (including JRF/ SLET/ GATE/ teacher fellowship holder or have passed M.Phil. program or regular teacher from Higher Education Institution with 2 years of services.

- 5.2 For conducting the entrance tests for Ph.D. programs, the University shall:

- 5.2.1 Decide through their academic bodies a predetermined and manageable number of Ph.D. scholars to be admitted depending on the number of available Research Supervisors and other academic and physical facilities available, keeping in mind the norms regarding the scholar-

- teacher ratio (as indicated in para 6.5), laboratory, library and such other facilities;
- 5.2.2 notify well in advance in the University website and through advertisement in at least two (2) national newspapers, of which at least one (1) shall be in the regional language, the number of seats for admission, subject/ discipline-wise distribution of available seats, criteria for admission, procedure for admission, examination center(s) where entrance test(s) shall be conducted and all other relevant information for the benefit of the candidates:
- 5.3 The admission shall be based on the criteria notified by the institution, keeping in view the guidelines/ norms in this regard issued by the University Grants Commission (UGC) and other statutory bodies concerned, and taking into account the reservation policy of the state Government from time to time.
- 5.4 The University shall admit candidates by a two stages process through:
- 5.4.1 An Entrance Test in which the qualifying marks shall be 50% The Syllabus of the Entrance Test shall consist of 50% of research methodology and 50% shall be subject specific. The Entrance Test shall be conducted at the center(s) notified in advance at the level of the University subject to the provision of clause 5.1
- 5.4.2 An interview/ viva voce may be organized by the University when the candidates are required to discuss their research interest/ area through a presentation before a duly constituted Committee.
- 5.5 The interview/viva voce shall also consider the following aspects, viz, whether:
- 5.5.1 The candidate possesses the competence for the proposed research;
- 5.5.2 The research work can be suitably undertaken at the University;
- 5.5.3 The proposed area of research can contribute to new/ additional knowledge.
- 5.6 The University shall maintain the list of all the Ph.D. registered students on its website on year-wise basis. The list shall include the name of the registered candidate, topic of his/her research, name of his/her supervisor/ co-supervisor, date of enrolment/ registration.
6. Allocation of Research Supervisor: Eligibility criteria to be a research supervisor, Co-Supervisor, number of Ph.D. scholars permissible per supervisor, etc.
- 6.1 Any regular professor of the University with at least five research publications in refereed Journals and any regular Associate/assistant professor of the university with a Ph.D. degree and at least two research publications in refereed journals may be recognized as Research Supervisor. Provided that in areas/Disciplines where there is no or only a limited number of refereed journals, the University may relax the above condition for recognition of a person as Research Supervisor with reasons to be recorded in writing.

- 6.2 Only a full time regular teacher of the University can act as a supervisor. The external supervisors are not allowed. However, Co-Supervisor can be allowed in inter-disciplinary areas from other departments of the same institution or from other related institutions with the approval of the Research Advisory Committee.
- 6.3 The allocation of Research supervisor for a selected research scholar shall be decided by the department concerned depending on the number of scholars per Research Supervisor, the available specialization among the supervisors and research interests of the scholars as indicated by them at the time of interview/ viva voce.
- 6.4 In case of topics which are of inter-disciplinary nature where the Department concerned feels that the expertise in the Department may appoint a Research supervisor from the Department itself, who shall be known as the Research Supervisor and a Co-Supervisor from outside the Department/ Faculty/ College/ Institution on such terms and conditions as may be specified and agreed upon by the consenting institutions/ Colleges.
- 6.5 A Research Supervisor, who is a professor, at any given point of time, cannot guide more than Eight (8) Ph.D. scholars. An Associate Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of six (6) Ph.D. scholars and an Assistant Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of four (4) Ph.D. scholars.
- 6.6 In case of relocation of an Ph.D. woman scholar due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the University to which the scholar intends to relocate provided all the other conditions in these regulation are followed in letter and spirit and the research work does not pertain to the project secured by the parent institution/ supervisor from any funding agency. The scholar will however give due credit to the parent guide and the institution for the part of research already done.
- 6.7 The University shall prominently display in its website the names of research supervisors along with the subjects, faculties and intake capacities. The same shall be updated within reasonable period of time.
7. Course work: Credit Requirements, number, duration, syllabus, minimum standards for completion, etc.
 - 7.1 The credit assigned to the Ph.D. course work shall be a minimum of 08 credits and a maximum of 16 credit, as designed by Board of Studies of subject concerned.
 - 7.2 The course work shall be treated as prerequisite for Ph.D. preparation. A minimum of four credits shall be assigned to one or more courses on Research Methodology which could cover areas such as quantitative methods, computer applications, research ethics and review of published research in the relevant field, training, field

work, etc. other courses shall be advanced level courses preparing the students of Ph.D. degree.

- 7.3 All course prescribed for Ph.D. course work shall be in conformity with the credit hour instructional requirement and shall specify content, instructional and assessment methods. They shall be duly approved by the authorized academic bodies.
- 7.4 The department where the scholar pursues his/her research shall prescribe the course(s) to him/her based on the recommendations of the Research Advisory Committee, as stipulated under sub-Clause 8.1 below, of the research scholar.
- 7.5 All candidates admitted to the Ph.D. program shall be required to complete the course work prescribed by the department during the initial one or two semesters for regular mode and three or four semester for part time mode as scheduled by the University.
- 7.6 Candidates already holding M.Phil. Degree and admitted to the Ph.D. program, or those who have already completed the course work in M.Phil. and have been permitted to proceed to the Ph.D. in integrated course, may be exempted by the department from the Ph.D. course work. All other candidates admitted to the Ph.D. program shall be required to complete the Ph.D. course work prescribed by the Department.
- 7.7 Grade in the course work, including research methodology courses shall be finalized after a combined assessment by the research Advisory Committee and the Department and the final grades shall be communicated to the University.
- 7.8 A Ph.D. scholar has to obtain a minimum of 55% of marks or its equivalent grade in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade/CGPA in a point scale wherever grading system is followed) in the course work in order to be eligible to continue in the program and submit the thesis.
- 7.9 On the recommendation of the Supervisor, the course may be carried out by the candidates in sister schools/departments/institutes either within or outside the University.

8. Research Advisory Committee (RAC) and its functions:

8.1 There shall be Research Advisory Committee, for each Ph.D. scholar. This committee will be consisting of the following members:-

- (a) Research Supervisor of the Scholar - Convener.
- (b) Head of the concerned department as Member.
- (c) Two senior faculty members of the university, who are eligible to guide a Ph.D. scholar as members shall be nominated by Vice Chancellor.

If the University doesn't have two senior faculty members, eligible to guide a Ph.D. then the Vice-Chancellor will be authorized to nominate a member from outside the University who is eligible to be a Ph.D. guide.

Total 3 members will be required to complete the quorum of the committee.

8.2 RAC shall have the following responsibilities:

- 8.2.1 To review the research proposal and finalize the topic of research for approval of Research Degree Committee (RDC);
 - 8.2.2 To guide the research scholar to develop the study design and methodology of research and identify the course(s) that he/she may have to do.
 - 8.2.3 To periodically review and assist in the progress of the research work of the research scholar.
- 8.3 A research scholar shall appear before the Research Advisory Committee once in six months to make presentation of the progress of his/her work for evaluation and further guidance. The six monthly progress reports shall be submitted by the Research Advisory Committee to the University with a copy to the research scholar.
- 8.4 in case the progress of the research scholar is unsatisfactory, the Research Advisory Committee shall record the reasons for the same and suggest corrective measures, if the research scholar fails to implement these corrective measures, the Research Advisory Committee may recommend to the University with specific reasons for cancellation of the registration of the research scholar.

9. Research Degree Committee (RDC) and its function:

- 9.1 There shall be Research Degree Committee (RDC), for each subject. This committee will be consisting of the followings:-
- (a) Vice-Chancellor of the University or his nominee –Chairman
 - (b) Dean of the faculty – Member
 - (c) Head of the concerned department – Member
 - (d) Chairman of concerned Board of Studies – Member
 - (e) Supervisor of the Candidate
 - (f) In case the HOD, Chairman and supervisor is same person, one senior faculty member of the university in the concerned subject, nominated by Vice-Chancellor.

Total 3 members will be required to complete the quorum of the committee.

- 9.2 To consider the research proposal and approve/ revise/ reject the topic of research recommended by the Research Advisory Committee (RAC) as per sub clause 8.2.1
- 9.3 The Research Degree Committee shall have other powers related to research work not mentioned elsewhere in this Ordinance.
- 9.4 The topic of the Research, if approved by the RDC, shall be considered suitable for registration.

10. Evaluation and Assessment Method, minimum standards/credits for award of the degree, etc.:
 - 10.1 The overall minimum credit requirement including credit for the course work for the Award of Ph.D. degree shall not be less than 24 credit.
 - 10.2 upon satisfactory completion of course work and obtaining the mark/ grade prescribed in Sub-clause 7.8 above, as the case may be, the Ph.D. scholar shall be required to undertake Research work and produce a draft thesis within a reasonable time as stipulated by the Institution concerned based on this Ordinance.
 - 10.3 Prior to the submission of the thesis, the scholar shall make a presentation in the Department before the Research Advisory Committee of the University concerned, which Shall also be open to all faculty members and other research scholars. The feedback and Comments obtained from them may be suitably incorporated, into the draft Dissertation/ thesis in consultation with the Research Advisory Committee.
 - 10.4 Ph.D. scholars must publish at least one (1) research paper in refereed/ standard journal and make two paper presentations in conferences/ seminars before the submission of the Thesis for adjudication, and produce evidence for the same in the form of presentation Certificates and/or reprints,
 - 10.5 The candidate shall submit 6 copies of the summary of the thesis, together with a list of at least one research paper published or accepted for publication standard journal through his her supervisor to the Registrar about 2 months prior to the anticipated date of Submission of thesis.
 - 10.6 The supervisor shall submit a panel of at least six names of examiners actively engaged in the concerned area of research not below the rank of Associate professor in a sealed Cover to the Registrar. Provided that the panel of examiners shall be obtained from the Chairman, Board of studies of the subject concerned, in case the candidate is related to the supervisor.
 - 10.7 On the receipt of the panel of examiners from the supervisor and summary from the Candidate, the Registrar/ controller of examiners shall call a meeting of a committee Constituted by Vice-chancellor of the University for this purpose. The committee considering the panel submitted by the supervisor/ Chairman, Board of studies, will Prepare a panel of six names to act as examiner. The Vice-chancellor will appoint 2 Examiners out of the panel recommended by the committee.
 - 10.8 The Academic council (or its equivalent body) of the University shall evolve a mechanism Using well developed software and gadgets to detect plagiarism and other forms of Academic dishonesty. While submitting for evaluation, the thesis shall have an undertaking from the research scholar and a certificate from the research Supervisor attesting to the Originality of the work, vouching that there is no plagiarism and that the work has not been submitted for the award of any other

degree/ diploma of the same institution where the work was carried out, or to any other institution.

10.9 The Ph.D. thesis submitted by a research scholar shall be evaluated by his/her Research Supervisor and at least two external examiners appointed by the Vice-chancellor from the Panel submitted under clause 10.7. The said examiners should not be, in employment of the institution/ Collage, of whom, one examiner must be from outside the state of Chhattisgarh or the Country. The viva-voce examination, based among other things, on the Critiques give in the evaluation report, shall be conducted by the research supervisor and one of the two external examiners, and shall be open to be attended by members of the Research Advisory Committee (RAC), all faculty members of the Department, other Research scholar and other interested expert/ researchers. Provided that, in case the supervisor is unable to viva-voce due to any reason, Vice-Chancellor may appoint a faculty member to conduct the viva-voce of the candidate.

10.10 The public viva-voce of the research scholar to defend the dissertation/ thesis shall Conducted only if the evaluation report(s) of the external examiner(s) on the Dissertation/ thesis is/are satisfactory and includes a specific recommendation for conducting the viva-voce examination. If one of the evaluation reports of the external examiner about the thesis is unsatisfactory and does not recommend viva-voce, the University shall send the thesis to another external examiner out of the approved panel of Examiners and the viva-voce examination shall be held only if the report of the latest Examiner is satisfactory if the report of the latest examiner is also unsatisfactory, the Thesis shall be rejected and the research scholar shall be declared ineligible for the award of the degree.

11. Attendance:

A Ph.D. candidate must have an attendance of 200 days in his/her tenure including course work in the concerned department of the university or with the supervisor.

12. Treatment of Ph.D. through part-time mode:

Part-time Ph.D. will be allowed provided all the conditions mentioned in the extant Ph.D. Ordinance, are met.

13. Course Fee

Course fee shall be decided by the University after obtaining the approval of Chhattisgarh private University Regulatory Commission.

14. Depository with INFLIBNET:

14.1 Following the successful completion of the evaluation process and before the Announcement of the award of the Ph.D. degree(s), the University shall submit an Electronic copy of the Ph.D. thesis to the INFLIBNET, for hosting the same as to make it Accessible to all institutions/ Colleges.

- 14.2 Prior to the actual award of the degree, the University shall issue a provisional certificate to the effect that the Degree has been awarded in accordance with provisions of these UGC Regulations, 2016.
15. The University shall provide necessary pro-forma for preparation of synopsis, various declarations by the candidate, certificate of the supervisors, copy right transfer approval and evaluation report by the examiner etc.
16. The University shall strictly follow the provisions contained in University Grant Commission (Minimum Standards and Procedure for award of M.Phil/ Ph.D. Degrees) Regulations, 2016, as amended from time to time or any other regulations pertaining to Ph.D. prevalent at the time of admission to Ph.D. Course in the University.

---- 000 ----

Amendment in Ordinance No. 51 The University Examinations

10. After clause no. 41 of ordinance 51, the following clause shall be added, namely:-
42. The University may decide to conduct online examination in place of physical examination in the wake of natural calamities, pandemics etc. and as per the directives of appropriate authorities in the matter.

---- 000 ----